प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.10.2026

- **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वालें वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.10.2026 थाना मंगलपुर पर वादिनी द्वारा लिखित तहरीर बावत वादिनी की नाबालिग पुत्री बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 363/2026 धारा 137(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए विवेचना से अभियुक्त गोपाल तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी निवासी हीरो एजेन्सी के पीछे अम्बेडकर नगर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में आया व मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता को बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता बयान धारा 180/183 बीएनएनएस व मेडिकल परीक्षण एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गोपाल तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी निवासी हीरो एजेन्सी के पीछे अम्बेडकर नगर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को मुखबिर की सूचना के आधार पर बिरहाना ओवरब्रिज के नीचे थाना क्षेत्र सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात से दिनांक 24.10.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. गोपाल तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी हीरो एजेन्सी के पीछे अम्बेडकर नगर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 363/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्र चौकी प्रभारी सन्दलपुर
2. हे0का0 293 बृजराज सिंह
3. म0का0 1351 दीक्षा